रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227826 CG-DL-E-23062021-227826

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2309]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

No. 2309]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2487(अ).—पश्ओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदृद्वारा पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) के गठन के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के भारत सरकार की दिनांक 12 जून, 2018 की अधिसूचना, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सं. का.आ. 2412 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा सं. 2 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"समिति का कार्यकाल, जब तक पहले भंग न कर दी जाए, 11.09.2021 तक होगा।"

[फा.सं. V-11011(14)/3/2021-सीपीसीएसईए- डीएडीएफ] डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का गठन करने हेत् भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10.1.2003 की पहली अधिसूचना संख्या का.आ. 32 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ); दिनांक 21.8.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955 (अ); 15.1.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69 (अ); 25.1.2005 की अधिसूचना सं.का.आ.

3431 GI/2021 (1) 85(अ); 17.10.2005 की अधिसूचना सं.का.आ. 1491 (अ); और 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933 (अ) अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया। दिनांक 19.10.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1817 (अ) के द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया था तथा दिनांक 7.6.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1328 (अ) और. 10.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2778 (अ) के तहत उसका संशोधन किया गया । इसके बाद समिति का फिर पुनर्गठन किया गया तथा इसे भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 30.08.2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2041 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् समिति का पुनर्गठन कर दिया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 503 (अ) दिनांक 17 फरवरी, 2016 के तहत प्रकाशित की गई। वर्तमान समिति का पुनर्गठन भारत के राजपत्र, असाधारण में क्रमांक का.आ. 2412(ई) दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा किया गया जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1727(ई) दिनांक 9 मई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 15 of the Prevention of Cruelty of Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change Number S.O 2412 (E) dated 12th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), namely:—

2. In the said notification, the para No. 2 shall be replaced as under:—

"The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be up to 11.09.2021."

[F. No. V-11011(14)/3/2021-CPCSEA-DADF] Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Note: The earlier notification constituting the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 and was subsequently amended vide Notification Numbers. S.O. 599(E) dated 26.05.2003, S.O.955(E) dated 21.08.2003, S.O.69(E) dated 15.01.2004, S.O.85(E) dated 25.01.2005, S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O.933(E) dated 21.06.2006. The Committee was again constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.1817(E) dated 19.10.2006 and amended vide notification numbers S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010. The Committee was further re-constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.2041(E) dated 30.08.2012 and subsequently reconstituted vide Notification number S.O. 503(E) dated 17th February, 2016. The present Committee has been reconstituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O. 2412(E) dated 12th June, 2018 which was amended vide notification number S.O.1727(E) dated 9th May, 2019.